सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 02, गुरूवार, *शाके* 1947- जनवरी 22, 2026 Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नामः उपायुक्त लैण्ड (प्रथम), नगर निगम जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2023

<u>राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधन) नियम-2021 के तहत् भू-उपयोग परिवर्तन आदेश</u>

संख्या एफ13( ) उपा.आयो.प्रथम/ननिजप्रथम/2023/ 734 :-श्री अरविन्द मायाराम पुत्र स्व. श्री मायाराम निवासी भू.सं. ओ-19, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संषोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2021) के अधीन आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया हैः-

शहर का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड	क्षेत्रफल
जयपुर शहर	**सी-स्कीम, जयपुर**	**भू.सं. ओ-19ए, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर**	**920.50 व.ग. में से रोड की चौडाई हेतु 252.20 व.ग. समर्पित करने के पश्चात् 668.30 व.ग.**

इस भूखण्ड को आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के पेटे राशि 37,71,217/- रूपये (सैतीस लाख इकहत्तर हजार दौ सौ सत्रह रूपये) दिनांक 21.09.2023 को एवं व्यवसायिक लीज अग्रिम एक मुष्त 952/- रूपये (नौ सौ बावन रूपये) दिनांक 21.09.2023 को जमा करवा दिया गया है।

1. यह केवल आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावें।
2. उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् नियमानुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानो व जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानदण्डो के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें तथा भूखण्ड में पार्किंग व वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य आवश्यक मापदण्डो का प्रावधान करना होगा।
3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपांतरण के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा भू-रूपांतरण शुल्क की 10

प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जावेंगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पुनः भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भूमि पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

5. भू-रूपांतरण के पश्चात् प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओ के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

6. भू-रूपांतरण आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानुसार जमा करानी होगी जो एक मुष्त जमा है।

7. भूखण्ड पर आवासीय से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जावें कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किंग भूखण्ड की कम्पाउण्डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किंग कम्पाउण्डवाल के अन्दर ही की जावें।

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा।

डॉ. गौरव सैनी,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।